राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल अपील याचिका संख्या 57/2023

सुखराम विश्नोई पुत्र श्री वीरमा राम विश्नोई, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम फूलन, पोस्ट देवड़ा, तहसील शिवाना, जिला बाडमेर (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।
3. नीलम चौधरी पुत्री श्री रामेश्वर दयाल चौधरी, ब्राइट मून स्कूल के पीछे, खादी भवन रोड, चोमू, जयपुर। वर्तमान में आरपीएस, सहायक कमांडेंट, 8 वीं आरएसी, नई दिल्ली के पद पर तैनात।
4. वैभव शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निवासी 4-के/137-138, शिवाजी पार्क, अलवर। वर्तमान में आरपीएस, सर्किल ऑफिसर गंगधार, जिला झालावाड़ (राजस्थान) के पद पर तैनात।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री रवि भंसाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपुल धारणिया, श्री सुखराम विश्नोई, की सहायता से।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री महावीर बिश्नोई, एएजी श्री गौरव बिश्नोई, श्री तरूण जोशी श्री विक्रम सिंह (वीसी के माध्यम से) की सहायता से।

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>प्रति माननीय मेहता, जे (मौखिक):</u>

<u>16/05/2024</u>

1. प्रस्तुत अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 19.12.2022 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (जिसे आगे 'आयोग' कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 28.06.2008 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आयोजित सामान्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसे आमतौर पर राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2008 (जिसे आगे 'परीक्षा-2008' कहा जाएगा) के रूप में जाना जाता है।

3. अपीलकर्ता जो वर्ष 2007 में पंचायत सेवा में प्रवेश कर चुका था, राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने इन दोनों सेवाओं के लिए विकल्प देते हुए एक फॉर्म भरा। उसने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा भी पास की और साक्षात्कार में शामिल हुआ।

4. जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया, तो अपीलकर्ता और दो अन्य उम्मीदवारों नीलम चौधरी और वैभव शर्मा ने समान अंक (865) प्राप्त किए; अपीलकर्ता को मेरिट नंबर 60 पर रखा गया, जबकि अन्य दो को क्रमशः मेरिट नंबर 58 और 59 दिया गया। बाद में, कट ऑफ (865) के बराबर अंक होने के बावजूद, मेरिट नंबर 60 वाले अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की गई, जबकि अन्य उम्मीदवारों (मेरिट नंबर 58 और 59) के नामों की सिफारिश की गई और उन्हें पुलिस सेवा आवंटित की गई।

5. उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के अनुसार, आयोग ने मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट स्थान दिया था और चूंकि अपीलकर्ता के मौखिक परीक्षा में नीलम चौधरी और वैभव शर्मा से कम अंक थे, इसलिए उसे मेरिट संख्या 60 पर रखा गया था।

6. अपीलकर्ता ने केवल प्रश्नगत प्रतियोगिता में आरएएस और आरपीएस का विकल्प चुना था, इन दोनों सेवाओं के लिए उसकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई थी, क्योंकि ऐसे पदों के लिए उपलब्ध सीटें मेरिट संख्या 59 तक के उम्मीदवारों द्वारा भर दी गई थीं। नीलम चौधरी और वैभव शर्मा दोनों को आरपीएस कैडर आवंटित किया गया था, भले ही अपीलकर्ता के अंक उनके बराबर थे।

7. समान अंक प्राप्त करने के बावजूद क्रमांक 60 दिए जाने से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7555/2011 के रूप में एक रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता दिए जाने के बारे में शिकायत की गई थी।

8. अपीलकर्ता की रिट याचिका पर भवानी सिंह की विशेष अपील के साथ सुनवाई की गई, जिसमें समान मुद्दे शामिल थे और दिनांक 19.09.2014 के निर्णय और आदेश के माध्यम से डिवीजन बेंच द्वारा अनुमति दी गई। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 (जिसे आगे 'नियम 1999' कहा जाएगा) के नियम 17 और 22 पर विचार करते हुए खंडपीठ ने माना कि पूर्ण आयोग के प्रस्ताव के आधार पर आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड उचित नहीं थे और संदेह की स्थिति में आयोग के लिए यह आवश्यक था कि वह कथित नियमों के नियम 22 के तहत कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करे।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता की रिट याचिका पर निर्णय लेते समय, खंडपीठ ने यह भी देखा था कि एकल न्यायाधीश द्वारा समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच जन्म तिथि के आधार पर योग्यता प्रदान करने का निर्देश (भवानी सिंह के मामले में) भी मान्य नहीं है। लेकिन ऐसा देखते हुए, खंडपीठ ने कार्मिक विभाग (जिसे आगे 'डीओपी' कहा जाएगा) को नियम 17 की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और आयोग को समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संबंध में 2013 और 2008 की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने और घोषित करने का निर्देश दिया।

10. उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, आयोग ने कार्मिक विभाग से राय मांगी, जिसने दिनांक 20.03.2015 के अपने पत्र के माध्यम से निर्णय दिया कि यदि प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम जन्म तिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जानी चाहिए, अर्थात् आयु में अधिक वाले को उच्च मेरिट दी जानी चाहिए तथा यदि जन्म तिथि समान है, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा यदि जन्म तिथि तथा लिखित परीक्षा में अंक दोनों समान हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी चाहिए।

11. ऐसा स्पष्टीकरण जारी करते समय आयोग ने यह चेतावनी भी दी कि दिया गया स्पष्टीकरण उन भर्तियों पर लागू नहीं होगा जो अंतिम रूप से हो चुकी हैं और कोई भी मामला फिर से ओपन नहीं किया जाएगा।

12. कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने योग्यता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संभावित था।

13. अपीलकर्ता ने पुनः एक रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1488/2016) प्रस्तुत की, जिसमें प्रतिवादी - आयोग और कार्मिक विभाग ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा और यह रुख अपनाया कि कार्मिक विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संभावित प्रकृति का था और उसमें दिए गए स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर उसे उन प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, जो स्पष्टीकरण जारी होने से पहले हुई थीं। आयोग ने दिनांक 20.03.2015 के स्पष्टीकरण की शर्त संख्या 1 और 2 पर भरोसा किया और तर्क दिया कि डीओपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 1999 के नियम 22 के अनुसार उस पर बाध्यकारी था।

14. जब रिट याचिका विचारार्थ आई, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने चुनौती के तहत आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि कार्मिक विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण आयोग के लिए बाध्यकारी था और चूंकि इसे भविष्य के लिए बनाया गया था, इसलिए आयोग के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 20.08.2015 के अपने आदेश में की गई टिप्पणी ने विद्वान एकल न्यायाधीश को आयोग द्वारा अपनाए गए रुख को बरकरार रखने के लिए राजी कर लिया।

15. श्री रवि भंसाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के पक्ष में तर्क देते हुए, शुरू में ही सूचित किया कि जब अपीलकर्ता ने अपनी पहली रिट याचिका (वर्ष 2011 में) दायर की थी, तो उसमें पारित अंतरिम आदेश के माध्यम से, निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियाँ रिट याचिका के परिणाम के अधीन थीं। यह स्वीकार करते हुए कि अपीलकर्ता की बाद की रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1488/2016) में उस प्रकृति का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रभावित व्यक्तियों (नीलम चौधरी और वैभव शर्मा) को रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था और वे विशेष अपील में भी पक्षकार हैं, इसलिए अपीलकर्ता को राहत देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जिसके वे अन्यथा हकदार हैं।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की है कि आयोग कार्मिक विभाग द्वारा दी गई राय से बंधा हुआ है, यहां तक कि इसकी प्रयोज्यता के संबंध में भी। यह मानते हुए कि

कार्मिक विभाग की राय पहले तो भावी नहीं हो सकती थी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आयोग की राय को संपूर्णता में पढ़ा जाए, तो इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि कार्मिक विभाग ने भविष्य के प्रभाव के लिए स्पष्टीकरण दिया है और उसी स्पष्टीकरण का उद्देश्य अपीलकर्ता को लाभ से वंचित करना है।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब अपीलकर्ता की पिछली रिट याचिका पर निर्णय करते समय खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि उक्त रिट याचिका पर निर्णय करते समय, इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी - आयोग को कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण लेने के लिए एक विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था जो अंतिम होगा और आयोग पर बाध्यकारी होगा।

18. इस प्रकार तर्क देते हुए श्री भंसाली ने प्रस्तुत किया कि न केवल विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है, बल्कि अपीलकर्ता को निजी प्रतिवादियों से आगे मेरिट सूची में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 04.05.1979 है, जबकि नीलम चौधरी और वैभव शर्मा की जन्म तिथि क्रमशः 02.01.1983 और 13.06.1983 है।

19. आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जोशी ने तर्क दिया कि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 के अपने पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण, विशेषकर उसमें संलग्न टिप्पणियों के मद्देनजर आयोग के पास अपना निर्णय बरकरार रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि कार्मिक विभाग ने आयोग को पहले से किए गए चयन और अनुशंसा को पुनः न खोलने का आदेश दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक आयोग को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ (दिनांक 20.03.2015 को), तब तक 2008 की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुशंसा बहुत पहले ही कर दी गई थी और इसलिए आयोग के लिए योग्यता की स्थिति को बदलना संभव नहीं था। इस संबंध में श्री जोशी ने न्यायालय को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 के अपने पत्र में की गई टिप्पणियों के माध्यम से निर्देशित किया और तर्क दिया कि 1999 के नियमों के नियम 22 के आधार पर कार्मिक विभाग की राय/स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी है।

20. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री महावीर बिश्नोई ने दलील दी कि कार्मिक विभाग ने स्पष्टीकरण देकर सही किया है और अपने कार्यों को भावी रखा है, अन्यथा इससे पहले से ही अंतिम रूप से तैयार की गई भर्तियों में व्यवधान उत्पन्न होता और जटिलताओं और मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता।

21. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान खंडपीठ के दिनांक 20.08.2015 के आदेश और उसमें की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि खंडपीठ ने मूलतः कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 को दिए गए स्पष्टीकरण की पुष्टि की थी, जब अपीलकर्ता की अवमानना याचिका खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

22. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

23. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, अपीलकर्ता के मुकदमे के पिछले दौर में पारित डिवीजन बेंच के फैसले को पढ़ना अनिवार्य होगा। तत्काल संदर्भ के उद्देश्य से, इसका प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

> "आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह कार्मिक विभाग से "सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता" शब्दों की व्याख्या से संबंधित अपने संदेहों को दूर करे ताकि संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित की जा सके। संदेहों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा 01.10.2014 को या उससे पहले संदर्भ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग इस पर विचार करेगा और उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित मुद्दे के संबंध में संदेहों को दूर करेगा।
>
> कार्मिक विभाग द्वारा दी गई राय अंतिम होगी। वर्ष 2003 और 2008 की प्रतियोगी परीक्षाओं में समकक्ष अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में वर्ष 1999 के नियम 17 के अनुसार योग्यता आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे 10.10.2014 तक या उससे पहले कार्मिक विभाग को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकें।
>
> आयोग कार्मिक विभाग द्वारा अपनी शंका दूर करने के पश्चात, 1999 के नियम 17 के अनुसार 2003 एवं 2008 की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर घोषित करेगा, जिसमें

समकक्ष अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम होंगे तथा नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को भेजेगा।"

24. यह ध्यान देने योग्य है कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ एक रिट याचिका में की गई थीं, जिसे अपीलकर्ता ने ही दायर किया था। ऐसी स्थिति में, डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देश को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकता कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने आयोग द्वारा अपनाए जा रहे तर्कहीन मानदंडों का मुद्दा उठाया था। इसलिए, डिवीजन बेंच द्वारा किए गए निर्णय और कार्मिक विभाग के परिणामी निर्णय को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार व्याख्या की जानी चाहिए।

25. यह ध्यान देने योग्य है कि डिवीजन बेंच ने भी स्पष्ट शब्दों में आयोग को 2003 और 2008 की भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने और घोषित करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह मुद्दा उठा था और उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था।

26. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 को दिए गए स्पष्टीकरण में की गई टिप्पणी को पुनः प्रस्तुत करना भी अनुचित नहीं होगा, जो इस प्रकार है:-

"निर्णय की पालना में, आयोग के संदेह निवारणार्थ निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :–

1. अब तक आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, स्वयं द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर, समान 'कुल प्राप्तांकों' वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक मेरिट का निर्धारण कर, जो चयन सूचियाँ राज्य सरकार (विभिन्न विभागों) को प्रेषितः की जा चुकी है, वे यथावत मान्य होगी। ऐसे प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।
2. जिन प्रकरणों में चयन अभिशंषा प्रेषित की जानी शेष है/भविष्य में प्रेषित की जानी हैं, उनमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में मिलाकर (कुल) समान प्राप्ताकों वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक प्राथमिकता *(Merit)* निम्न मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जावेगी :–

(i) जन्मतिथि के आधार पर, आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(ii) जन्मतिथि भी समान होने पर लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

*(iii)*जन्मतिथि एवं लिखित परीक्षा के अंक भी समान पाए जाने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारी तथा उसमें भी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता पहले धारण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

कृपया भविष्य में मेरिट का निर्धारण उक्त निर्धारित मापदंडानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के प्रकाश में ही श्री सुखराम विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है।

यह कार्मिक विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।"

27. यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण में प्रयुक्त भाषा भ्रम पैदा करने वाली है तथा इसकी प्रयोज्यता के बारे में संदेह पैदा करने में सक्षम है। लेकिन, यदि दिनांक 20.03.2015 के स्पष्टीकरण को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो हम पाएंगे कि कार्मिक विभाग ने अपीलकर्ता की रिट याचिका में पारित दिनांक 19.09.2014 के खंडपीठ के आदेश का स्पष्ट संदर्भ दिया है। इसलिए, स्पष्टीकरण को शून्य में नहीं रखा जा सकता है तथा अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

28. यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग ने माना कि "सामान्य उपयुक्तता" का प्रचलित मानदंड वैध और न्यायोचित नहीं था तथा एक नया मानदंड विकसित किया गया था, लेकिन इस संबंध में नोट संलग्न करके इसे भविष्य में लागू करने योग्य बनाया गया था। लेकिन इस तरह के प्रावधान को संदर्भ से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। और घटनाओं की श्रृंखला, जो इतनी अंतर्संबंधित और परस्पर जुड़ी हुई है, उसे केवल उस अभ्यास से बचने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसे आयोग को करना था।

29. यह न्यायालय इस परिणाम को सहन करने में असमर्थ है और इस विडंबना को सहन नहीं कर सकता कि अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में अपीलकर्ता के कहने पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह सभी पर लागू किया गया है, लेकिन अपीलकर्ता पर नहीं।

30. हमें आश्चर्य है कि अपीलकर्ता को उसके प्रयासों से उत्पन्न होने वाले परिणामों से कैसे वंचित किया जा सकता है और उसने जो फसल बोई थी, उसे काटने से इनकार कर दिया।

31. हमारे अनुसार, आयोग अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण का लाभ देने और योग्यता सूची को फिर से तैयार करने के लिए बाध्य था।

32. दिनांक 19.09.2014 को डिवीजन बेंच के फैसले *(उपर्युक्त पैरा 22 में पुनः प्रस्तुत)* के अवलोकन को सरलता से पढ़ने पर इसमें कोई अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं रह जाती कि आयोग स्पष्टीकरण लागू करने और स्पष्टीकरण के आलोक में नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के लिए बाध्य था।

33. हमारे अनुसार, जहां तक उपयुक्तता या उपयुक्तता के मानदंड का सवाल है, डीओपी का स्पष्टीकरण नियम 22 के अनुसार डिवीजन बेंच के आदेश के साथ बाध्यकारी था। लेकिन, उसके बाद, डीओपी उससे आगे नहीं जा सकता था और आदेश दिया कि यह केवल लंबित सिफारिशों पर लागू होगा। नियम 22 का दायरा

केवल नियमों की व्याख्या तक ही सीमित है। यदि नियम 17 की व्याख्या के बारे में कोई संदेह था, विशेष रूप से, उम्मीदवार की उपयुक्तता के बारे में, डीओपी सक्षम प्राधिकारी था और उसने वही किया जो उससे अपेक्षित था और आवश्यक था। ऐसा करने के बाद, डीओपी इसकी प्रयोज्यता पर फैसला नहीं कर सकता था और न ही उसे ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि यह न तो नियम 22 का दायरा है और न ही उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। इसलिए, डीओपी द्वारा की गई टिप्पणी आज्ञाकारी थी और आयोग को स्पष्टीकरण में दिए गए विवादित नोटों से बाध्य महसूस नहीं करना चाहिए था।

34. उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां तक स्पष्टीकरण की प्रयोज्यता का प्रश्न है, खंडपीठ ने पहले ही माना था कि डीओपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को लागू किया जाएगा तथा 2003 और 2008 की परीक्षा के लिए नई मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जहां तक नियम 17 की व्याख्या का प्रश्न है, यह सही है कि डीओपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बाध्यकारी था, लेकिन जहां तक स्पष्टीकरण की प्रयोज्यता का प्रश्न है, तो जो बाध्यकारी था वह खंडपीठ द्वारा दिनांक 19.09.2014 के अपने आदेश के माध्यम से दिया गया निर्देश था। इस प्रकार आयोग का रुख स्पष्ट रूप से खंडपीठ द्वारा दिनांक 19 सितंबर, 2014 के अपने आदेश में दिए गए निर्देश के अनुरूप है।

35. हमें यह आश्चर्यजनक और परेशान करने वाला लगता है कि आयोग ने डीओपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को, यहां तक कि इसकी प्रयोज्यता के संबंध में भी, स्वीकार किया, जबकि डीओपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को लागू करना और उसे कार्यान्वित करना इस न्यायालय के आदेश के अधीन था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश डीओपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की प्रयोज्यता की अवधि और दायरे के संबंध में व्यापक और अधिभावी प्रभाव डाल रहा था।

36. खंडपीठ द्वारा दिनांक 20.08.2015 को दिए गए अपने आदेश *(अवमानना याचिका पर निर्णय करते समय)* में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए यह कहना पर्याप्त है कि अवमानना याचिका कार्मिक विभाग के सचिव के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रस्तुत की गई थी, जिसमें खंडपीठ को यह जांच करनी थी कि क्या कार्मिक विभाग ने जानबूझकर अवज्ञा की है या अपीलकर्ता के मामले में खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय की अवमानना के बराबर गैर-अनुपालन किया है। और इसलिए, जब खंडपीठ ने पाया कि कार्मिक विभाग की ओर से कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कार्मिक

विभाग के निर्णय को स्वीकृत/बरकरार रखा गया है, यहां तक कि निहित रूप से भी।

37. हमारे अनुसार, अवमानना याचिका पर निर्णय लेने के मापदंड और मानदंड पूरी तरह से अलग हैं - अवमानना याचिका पर निर्णय लेते समय न्यायालय को आदेश की सत्यता नहीं बल्कि जानबूझकर अवज्ञा के तत्व को देखना होता है। केवल इसलिए कि अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि डीओपी के निर्णय की वैधता की जांच की गई है और खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

38. हमारे सामने इस मुद्दे का एक और परिप्रेक्ष्य है। निस्संदेह, आयोग लंबे समय से मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर योग्यता की गणना के मानदंड को अपनाता रहा है; यह अपीलकर्ता (2008 की परीक्षा के लिए) और अन्य उम्मीदवार भवानी सिंह चारण (2003 की परीक्षा के लिए) थे जिन्होंने इस तरह के मानदंड की तर्कसंगतता और औचित्य पर सवाल उठाया था। यदि अपीलकर्ता ही था, जिसने उच्च न्यायालय को यह मानने के लिए राजी किया कि आयोग द्वारा अपनाए जा रहे इस तरह के मानदंड में एक अंतर्निहित दोष था और यह केवल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में था, तो डीओपी ने इसे भ्रामक पाया। इसके बावजूद, यदि अपीलकर्ता को राहत नहीं दी जाती है, तो यह कानून के शासन के विपरीत और न्याय का उपहास होगा।

39. यदि अपीलकर्ता को इस आधार पर राहत देने से मना कर दिया जाता है कि स्पष्टीकरण भावी है, तो हर मामले में, जब भी न्यायालय द्वारा पहली बार कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जो राज्य की दीर्घकालिक प्रथा से भिन्न होता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस बहाने से राहत देने से मना कर दिया जाएगा कि सिद्धांत या निर्णय भावी रूप से संचालित होगा। इस न्यायालय के अनुसार, यह अन्यायपूर्ण होगा कि ऐसे निर्णय पर भरोसा करने वाले अन्य सभी लोग इस तरह से निर्धारित कानून से लाभान्वित होंगे, लेकिन ऐसा वादी स्वयं नहीं। दूसरे शब्दों में, जो मशाल वाहक है वह अंधेरे में रहेगा और अन्य लोग ऐसे स्पष्टीकरण के प्रकाश में फलेंगे-फूलेंगे। ऐसी स्थिति या परिणाम कम से कम अन्यायपूर्ण और असमान होगा।

40. ऐसे मामलों में अवैधताओं या मनमानी का सामना करने वाले संभावित वादियों को मुकदमा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा-अगर वे सफल होते हैं, तो उनका मामला पुराने मानदंडों और मापदंडों द्वारा शासित होता रहेगा जिन्हें अवैध घोषित किया गया है, जबकि वही कानून या निर्णय भविष्य की पीढ़ियों पर लागू होगा। हमारे अनुसार, जो वादी न्यायालयों को पुराने मानदंडों और पुराने

सिद्धांतों को दरकिनार करने का अवसर देते हैं, वे एक तरह से कानून के विकास में योगदान करते हैं और इस प्रकार, वे प्रशंसा नहीं तो अपने वैध हक के हकदार हैं।

41. हमने जो चर्चा की और जो अवलोकन किया, उसके परिणामस्वरूप हमने लगभग यह राय बना ली थी कि अपीलकर्ता निजी प्रतिवादियों से उच्च पद पर रखे जाने का हकदार है, लेकिन चूंकि लगभग 15 वर्ष की अवधि बीत चुकी है, इसलिए सीधे निर्देश देने के बजाय, क्योंकि इससे न केवल प्रतिवादी संख्या *3* और *4* के अधिकारों और वरिष्ठता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि अन्य उम्मीदवारों के भी, जो बाद की भर्तियों में सेवाओं में शामिल हुए हैं, हमने रुककर न्यायालय में उपस्थित अपीलकर्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा- 'क्या वह पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए इच्छुक होगा, यदि उसकी वरिष्ठता सेवा में शामिल होने की तिथि से गिनी जाए*?*" उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, यद्यपि इस शर्त के साथ कि पंचायती राज विभाग में अब तक दी गई उसकी सेवाओं को संरक्षित किया जाए।

42. इसलिए, हम अपीलकर्ता को राहत देने में कोई बाधा नहीं देखते हैं क्योंकि इससे पहले से चयनित उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। नतीजतन, इस अंतर न्यायालय अपील को स्वीकार किया जाता है*;* विद्वान एकल न्यायाधीश के तत्काल अपील के विषय में दिनांक 19.12.2022 के आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है।

43. आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता का नाम क्रमांक 57ए पर, जो नीलम चौधरी के नाम के ऊपर होगा, वर्ष 2008 की भर्ती के लिए 30.06.2024 को या उससे पहले अनुशंसित करे। इस प्रकार की गई सिफारिश प्राप्त होने पर, राज्य अपीलकर्ता को 31.08.2024 को या उससे पहले पुलिस सेवाओं में नियुक्ति प्रदान करेगा, यदि वह अन्यथा उपयुक्त और पात्र है। पुलिस सेवाओं में अपीलकर्ता की वरिष्ठता की गणना उसके पुलिस सेवा में शामिल होने की तारीख या 01.09.2024 से की जाएगी, जो भी पहले हो।

44. अपीलकर्ता द्वारा पंचायती राज विभाग में दी गई सेवाओं को राजस्थान सेवा नियम, 1958 के नियम 25 सहित विधि के अनुसार समायोजित/विनियोजित किया जाएगा।

45. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कार्मिक विभाग के दिनांक 20.03.2015 के स्पष्टीकरण के संबंध में किया गया वर्तमान निर्णय केवल अपीलकर्ता तक ही सीमित रहेगा। यह भवानी सिंह *(*एस.बी. सिविल रिट याचिका

संख्या 3320/2006 में रिट याचिकाकर्ता) पर भी लागू हो सकता है, यदि उनका कारण अभी भी कायम है, तो राज्य द्वारा उठाई जाने वाली उचित आपत्ति के अधीन।

46. स्थगन आवेदन भी तदनुसार निपटाया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे **(दिनेश मेहता),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।